भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- *52

गुरूवार, 2 दिसम्बर, 2021/11 अग्रहायण, 1943 (शक)

ओडिशा में कलाकारों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज

***52. श्रीमती ममता मोहंताः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हुए ओडिशा के अनेक कलाकारों को चिन्हित कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ओडिशा के उन कलाकारों की सहायता के लिए, जिन्हें कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण वित्तीय घाटा उठाना पड़ा है, प्रोत्साहन पैकेज शुरू करने का विचार रखती है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*

“ओडिशा में कलाकारों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज” के संबंध में श्रीमती ममता मोहंता, सांसद द्वारा पूछे गए राज्य सभा के दिनांक 02-12-2021 के तारांकित प्रश्न संख्या *52 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): ओडिशा सरकार ने सूचित किया है कि उन्हें कोविड -19 के कारण बेरोजगार कलाकारों के संबंध में जानकारी नहीं है। तथापि, उन्होंने कलाकारों को अपनी आजीविका कमाने के लिए कोविड-19 के दौरान कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें उनको भागीदार बनाया गया। कलाकार महासंघ योजना के तहत ओडिशा सरकार द्वारा 1.5 लाख लोक कलाकारों की पहचान की गई है और उनका नामांकन किया गया है। ओडिशा सरकार "मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना" के तहत विभिन्न श्रेणियों के 35,000 कलाकारों को 1200 रुपये प्रति माह की मासिक वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है।

संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ने भी कोविड -19 महामारी के दौरान कलाकारों को सहायता देने के लिए कई कदम उठाए हैं। कलाकारों को पारिश्रमिक के रूप में 9.27 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता के रूप में दिए गए हैं, कलाकारों को वित्तीय अनुदान योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए समर्पित हेल्प लाइन खोली गई, लोक/आदिवासी कलाकारों को भुगतान पर कार्यनिष्पादन के लिए ऑनलाइन मंच की पेशकश की गई और पुराने कलाकारों को वार्षिक आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनिवार्य शर्त से छूट प्रदान करके 'कलाकार पेंशन' जारी करने की अनुमति दी गई। संस्कृति मंत्रालय ने कोविड -19 के दौरान वित्तीय संकट का सामना करने वाले और अपनी आजीविका के साधन खोने वाले कलाकारों की मदद करने के लिए ऊपर उल्लिखित योजनाओं के तहत अनुदानों को शीघ्र और समय पर जारी करना सुनिश्चित किया है।

इसके अलावा, संस्कृति मंत्रालय कोष अनुदान योजना के तहत वित्तीय सहायता, बौद्ध/तिब्बती कला और संस्कृति के विकास के लिए वित्तीय सहायता की योजना, सांस्कृतिक समारोह और उत्पादन अनुदान योजना, कला एवं संस्कृति के प्रचार के लिए छात्रवृत्ति और अधिछात्रवृति की योजना, राष्ट्रीय उपस्थिति वाले सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता, हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विकास के लिए वित्तीय सहायता की योजना, कलाकारों को पेंशन और चिकित्सा सहायता की योजना, सेवा भोज योजना के तहत वित्तीय सहायता और स्टूडियो थिएटर सहित निर्माण अनुदान की व्यवस्था करने के लिए प्रदर्शन कलाओं में सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता जैसी विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है।

*****